न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XIII–सह–विशेष न्यायालय उत्पाद कोर्ट नं0–I, व्यवहार न्यायालय–गोपालगंज।

उपस्थितः– **दीपक सिंह वर्मा,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XIII–सह–
विशेष न्यायालय उत्पाद कोर्ट नं0–I, गोपालगंज।
गोपालगंज, निर्णय दिनांक :–16.03.2026

विचारण वाद संख्या–418/2026
रजि0 नं0.– 204/2018
बरौली थाना कांड संख्या–139/1999

Informant/ Complainant	राज्य (द्वारा सूचक राम कृष्ण उपाध्याय, सहायक अवर निरीक्षक)
Represented by Prosecution	श्री अवधेश प्रसाद मणि, विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद)
Accused	1. बतक मॉझी, पे0–परमा मॉझी 2. हरेन्द्र मॉझी, पे0–चन्द्रमा मॉझी, दोनों साकिन–कहला हरिजन टोली, थाना–बरौली, जिला गोपालगंज। .....अभियुक्तगण।
Represented by Defence	विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज सिंह

Date of Offense	20.08.1999	
Date of FIR	20.08.1999	U/S-47 (a)
Date of charge sheet	04.03.2000	U/S-47 (a)
Date of charge framed	21.04.2001	U/S-47 (a)
Date of commencement of evidence	21.04.2001	
Date of which judgment is reserved	16.03.2026	
Date of the judgment	16.03.2026	

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or Convicted
1	बतक मॉझी			U/S-47 (a)	Acquitted
2	हरेन्द्र मॉझी			U/S-47 (a)	Acquitted

List of Prosecution Witnesses

Rank	Name	Nature of Evidence
	XXXXXX	XXXXXXX

List of Prosecution Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	XXXX	XXXX

निर्णय

01. इस वाद में नामित अभियुक्तों को धारा-47(a) उत्पाद अधिनियम में अभियोजित किया गया है।

02. अभियोजन का वाद संक्षेप में प्रथम सूचना रिर्पोट के अनुसार यह है कि दिनांक-20.08.1999 को सूचक अपने सशस्त्र बलों के साथ थाना से निकला था। जब उपरोक्त सशस्त्र बल के साथ बिशुनपुरा चौक पर पहूॅचा तो देखा कि पुलिस पार्टी को देखकर वहॉ पर खड़े तीन व्यक्ति घबड़ायें हुए अपने-अपने हाथों में झोला लिए हुए भागने लगे। बल के सहयोग से पीछा किया गया तो एक व्यक्ति पकड़ा गया और दो व्यक्ति झोला फेककर भागने में सफल रहे। पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम-मंगल मॉझी, पे0-केवल मॉझी, साकिन-कहला हरिजन टोली, थाना-बरौली, जिला गोपालगंज बतलाया तथा दोनों भागे हुए साथियों का नाम- बतक मॉझी, पे0-परमा मॉझी एवं हरेन्द्र मॉझी, पे0-चन्द्रमा मॉझी, दोनों साकिन-कहला हरिजन टोली, थाना-बरौली, जिला गोपालगंज बतलाया। मंगल मॉझी एवं उसके दोनों साथियों के द्वारा फेके गए झोला का तलाशी लिया गया तो कुल-30 लीटर शराब बरामद हुआ। सूचक द्वारा बरामद शराब का विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। इसी सूचना पर सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर बरौली थाना काण्ड संख्या-139/99 अंतर्गत धारा-47(a) उत्पाद अधिनियम दर्ज किया गया।

03. बरौली थाना संख्या–139/1999 की विवेचना उपरांत इस वाद के अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा–47(a) उत्पाद अधिनियम में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा तत्कालीन न्यायालय ने इन्हीं धाराओं में अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया और विचारण के दौरान अभियुक्त के विरूद्ध धारा–47(a) उत्पाद अधिनियम में आरोप गठन कर हिन्दी में सुनाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया और विचारण का दावा किया। इस वाद के सभी तीन अभियुक्तों में 1. मंगल मॉझी, पे0–केवल मॉझी का मृत्यु हो गई है, जिस कारण दिनांक–17.01.2014 को अभियुक्त मंगल मॉझी का नाम वाद से कलमजद किया गया है।

04. विचारण के क्रम में अभियोजन को साक्षियों को प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया एवं इस न्यायालय के द्वारा साक्षियों के विरूद्ध दिनांक–04.05.2006 को जमानतीय वारंट निर्गत किया गया। अभियोजन द्वारा इसके बाद भी जब कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह अभिलेख विशेष लोक अभियोजक को दिनांक–06.08.2025 को दिखाया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर से साक्ष्य प्रस्तुत करे। उसके बाद पुनः दिनांक–11.03.2026 को भी अभिलेख दिखाया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर से साक्ष्य प्रस्तुत करे, मगर बार–बार मौका देने के बाद भी जब उनके द्वारा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया तो दिनांक–11.03.2026 को अभियोजन साक्ष्य का अवसर इस न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य उपरांत जब धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्तों का कथन था कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फॅसाया गया है। दिनांक–11.03.2026 को बचाव पक्ष के निवेदन पर सफाई साक्ष्य बंद किया गया।

06. यह न्यायालय इस वाद के निपटारे के लिए निम्नलिखित वाद बिन्दु का गठन करती है :-

क- क्या अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

साक्ष्य और उसका परिशीलन

07. अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए न तो एक भी कोई मौखिक और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सका है।

निष्कर्ष

08. अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः इस वाद के अभियुक्त 1. बतक मॉझी, पे0-परमा मॉझी 2. हरेन्द्र मॉझी, पे0-चन्द्रमा मॉझी, दोनों साकिन-कहला हरिजन टोली, थाना-बरौली, जिला गोपालगंज को धारा-47(a) उत्पाद अधिनियम के आरोप से साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं। उनके जमानतदार को बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

(**दीपक सिंह वर्मा**)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-XIII
-सह-विशेष न्यायालय उत्पाद कोर्ट
नं0-I, गोपालगंज।
दिनांक-16.03.2026